

7/11/19 का पत्र ले/02

उप जिला कलक्टर
बामनवास (जिला-स०मा०)

7/11/19

पत्रावली बेशुद्ध है। वकील शामिल उपर। बटस वकील
सायल पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन
किया गया। मुताबिक राजस्व रिमांड जमा बंदी
संवत् 2072-75 वाले ग्राम तीगरीया तहसील बामनवास
के अनुसार विवादित भूमि आ ख.नं 46 रुकवा
0.74 हेक्टर सायल की स्वतन्त्र भूमि होना राजस्व
रिमांड से सिद्ध है। जिसके कारण जैर सायल को
न्याय क्षेत्र में जारी असुआई निषेधज्ञा से पाबंद
किया जाना उचित समझला है।

अतः जैर सायल को जारी असुआई निषेधज्ञा
से पाबंद किया जाता है। कि ग्राम तीगरीया तह
बामनवास के आ ख.नं 46 रुकवा 0.74 हेक्टर में
सायल के कच्चे काष्ठ उपयोग उपभोग में
दखलन नहीं देवे। न किसी अन्य से डिलावे।

शायक पत्र फेलत बूका खेकर काड तहसील
दफ्तर दाखिल की जावे। तथा मूल दावे की पत्रावली
के साथ संलग्न रहे।

यह निर्णय आप दिनांक 07-11-19 को खुले न्यायालय
में हुआ गया/02

उप जिला कलक्टर
बामनवास (जिला-स०मा०)

